रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072026-274089
CG-DL-E-04072026-274089

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 510] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 3, 2026/आषाढ 12, 1948
No. 510] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 3, 2026/ASHADHA 12, 1948

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 568(अ).— केंद्रीय सरकार, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 के उप-धारा (2) के खंड (ग), (च), (ज), (झ) और (ध) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधिक मापविज्ञान (साधारण) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक मापविज्ञान (साधारण) चौथा संशोधन नियम, 2026 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विधिक मापविज्ञान (साधारण) नियम, 2011 में,-

(i) सातवीं अनुसूची में, शीर्षक-क के, भाग-2 के, अनुच्छेद 9 के, उप-अनुच्छेद (2) में खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(ii) सत्यापन में मानक तोल का प्रतिस्थापन:

(क) उपयोग के स्थान पर उपकरणों का परीक्षण करते समय, मानक भार के प्रतिस्थापन में किसी अन्य नियम भार का उपयोग किया जा सकेगा, परन्तु अधिकतम क्षमता के आधे से कम मानक भार का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(ख) जहां पुनरावर्तनीयता त्रुटि 0.3e से अनधिक है, मद (क) के अधीन अपेक्षित मानक भार के हिस्से को अधिकतम क्षमता के एक तिहाई तक कम किया जा सकेगा।

(ग) जहां पुनरावर्तनीयता त्रुटि 0.2e से अनधिक है, मद (क) के अधीन अपेक्षित मानक भार के हिस्से को अधिकतम क्षमता के पांचवें हिस्से तक कम किया जा सकेगा।

(घ) पुनरावर्तनीयता त्रुटि अवधारित करने के लिए, लोड रिसेप्टर पर लगभग उस मान का भार ,चाहे वह बाट हो या कोई अन्य स्थिर भार ,तीन बार रखा जाएगा जिस पर प्रतिस्थापन किया जाता है।“;

(ii) बारहवीं अनुसूची में, क्रमांक 2 के सामने, "5,000 रुपये " अक्षरों और अंकों के स्थान पर, " 50,000.00 रुपये " अक्षर और अंक रखे जायेंगे।

[फा. सं. I-9/9/2025-डब्ल्यू एंड एम]

अनुपम मिश्रा, अपर सचिव

टिप्पण:- मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3 , उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि.71(अ), तारीख 7 फरवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्या सा.का.नि.175(अ), तारीख 12 मार्च, 2026 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

Notification

New Delhi, the 3rd July, 2026

G.S.R. 568(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (c), (f), (h), (i) and (s) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Legal Metrology (General) Rules, 2011, namely:–

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Legal Metrology (General) Fourth Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Legal Metrology (General) Rules, 2011,-

(i) in the Seventh Schedule, in Heading-A, in Part II, in paragraph 9, in sub-paragraph (2) for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-

"(ii) Substitution of standard weights at verification:

(a) When testing instruments at the place of use, any constant load may be employed in substitution of standard weights, subject to the condition that standard weights of not less than one half of the maximum capacity shall be used.

(b) Where the repeatability error does not exceed 0.3e, the portion of standard weights required under item (a) may be reduced to one third of the maximum capacity.

(c) Where the repeatability error does not exceed 0.2e, the portion of standard weights required under item (a) may be reduced to one fifth of the maximum capacity.

(d) The repeatability error shall be determined with a load, whether consisting of weights or any other constant load, of approximately the value at which substitution is made, by placing such load three times upon the load receptor.";

(ii) in the Twelfth Schedule, against Sl No. 2, for the letters and figures "Rs. 5,000", the letters and figures "Rs. 50,000.00" shall be substituted.

[F. No. I-9/9/2025-W&M]

ANUPAM MISHRA, Addl. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R.71(E), dated the 7th February, 2011 and was last amended, *vide* number G.S.R 175(E), dated the 12th March, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.07.04 02:53:48 +05'30'